कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची ।

पत्रांकः– 1359 दिनांकः– 30.12.15

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय– पलामू जिला में मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत नया चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण हेतु कुल 4.85 हे0 वन भूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का पत्रांक – 3410 दिनांक – 21.12.2015.

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छाया प्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना हेतु प्रस्ताव की पाँच प्रतियों में साथ online प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत हैः–

1. यह प्रस्ताव मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. इस प्रस्ताव में मात्र जंगल–झाड़ी 4.85 वनभूमि अन्तर्गस्त है।
3. प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व शून्य है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव मूल आवेदन Form A Part I में अभियुक्ति दर्ज है।
5. प्रस्ताव के साथ Part II, III, & IIIA में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल मेदिनीनगर तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का मंतव्य तथा अभियुक्ति दर्ज है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर एवं वन संरक्षक, मेदिनीनगर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
6. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य Part IV में दर्ज है।
7. वनभूमि की विस्तृत विवरणी निम्नवत हैः–

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा	थाना एवं थाना नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा	अभियुक्ति	वनस्पति का घनत्व
1	मेदिनीनगर	पोखरादा खूर्द	सदर मेदिनीनगर / 205	1375(p)	4.85	सभी जंगल–झाड़	शून्य

8. प्रस्तावित वनभूमि का मौजा मैप संलग्न है।
9. प्रस्तावित वनभूमि को चिन्हित करते हुए 1:50,000 स्केल के टोपोशीट के स्थान पर 1:17,500 स्केल के टोपोशीट संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ एन0पी0भी0 तथा अन्य मद में राशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गई है।
11. प्रस्तावित कुल रकबा 4.85 हे0 जंगल–झाड़ वनभूमि है अतः इसके उपयोग के संबंध में संबंधित उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 1497/रा0 दिनांक 09.12.15 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
12. FRA 2006 के तहत् उपायुक्त पलामू का पत्रांक 2021 दिनांक 06.11.15 द्वारा प्राप्त है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

13. प्रस्ताव के साथ Geo-reference Digital Plan संलग्न है।
14. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशलन पार्क, वन्यप्राणी, वायोस्फेयर, हाथी–कोरीडोर अथवा व्याघ्र परियोजना का हिस्सा नहीं है।
15. प्रस्ताव के साथ CWLW का मंतव्य संलग्न नहीं है इस हेतु उनहें अनुरोध किया जा रहा है प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायेगा।
16. प्रस्तावित वनभूमि के अग्रसारण हेतु वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.14 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
17. प्रस्तावित वनभूमि का रकबा मात्र 4.85 हे0 यानि 5 हे0 से कम है तथा LWE जिले में है अतः दिशानिर्देश के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राशि हेतु प्रयोक्ता अभिकरण पर जोर नहीं दिया जा सकता है इसलिए इस हेतु वनरोपण के लिए दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि का चयन नहीं किया गया है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना राज्य सरकार को शक्ति प्रदत्त है।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु 4.85 हे0 वनभूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0 यथोक्त ।

विश्वासभाजन

30/12/2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

30.12.15

<u>PART –IV</u>

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

NEW MEDICAL COLLEGE, PALAMU 4.85 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.85 ha. Forest land.

Date :- 28.12.2015

Place :- Ranchi

Signature

28/12/2015

(ARUN KUMAR PRABHAKAR)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of
Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)